राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

प्रेस विज्ञप्ति

एस.एस.ए. के शिक्षकों को 1 अप्रेल 2017 से कोषालय से वेतन मिलेगा

जयपुर–06 मार्च 2017।। राज्य सरकार के आमंत्रण पर शिक्षामंत्री श्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के शीर्षस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विधानसभा के समिति कक्ष में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के शिष्टमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में आज संगठन के मांगपत्र एवं तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु विस्तुत वार्ता की। आधिकारिक वार्ता में संगठन के मांगपत्र एवं तात्कालिक समस्याओ पर विचार विमर्श किया गया तथा कुछ पर सहमति एवं परीक्षण करवाने के साथ वार्ता सम्पन्न हुयी।

संगठन के महामंत्री देवलाल गोचर ने बताया कि संगठन ने शिक्षकों को छठवें वेतनमान में ग्रेड पे की वेतन विंसगतियों को दूर कर सातवां वेतनमान लागू करने, वर्ष 2012 में नियुक्त वरिष्ठ अध्यापको का फिक्स वेतनमान 14,430 के स्थान पर फिक्स वेतनमान को 16,290 पर निर्धारित करने, 2012 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एरियर एवं बोनस के भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा से करवाने, ग्रामीण शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने, सामाजिक विज्ञान एवं सामान्य विषय के अध्यापकों की पदोन्नति प्रधानाध्यापक (उप्रावि) के पद पर करने, हिन्दी व अंग्रेजी व्याख्याता विषय के पद सभी विद्यालयों में सृजित करने, 2012 में नियुक्त अध्यापकों की वरियता में परिवर्तन होने पर अधिशेष हुये शिक्षकों को नयी रिक्तियों में समायोजित करने, स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों पर पुर्नविचार करने, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयध्यक्ष एवं प्रयोगशाला सहायक की डीपीसी प्रक्रिया प्रारंभ करवाने, तदर्थ व्याख्याताओ का नियमितिकरण करने, विद्यालयो की सफाई हेतु दिये जाने वाले फण्ड में वृद्वि करने तथा शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था प्रारभ्भ करने,वचित पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाने एवं प्रबोधकों की पदोन्नति तथा स्थानान्तरण किये जाने, विभागीय जॉच व एसीपी प्रकरणो का समयबद्व निस्तारण करवाने, कम्पयूटर शिक्षक लगाने, कुक कम हैल्पर का मानदेय बढाने, कार्यालयो में निरीक्षण अधिकारियो एवं मंत्रालयिक कर्मचारियो के पद विद्यालय अनुपात में सृजित करने, शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से एसीपी का लाभ देने, मेडिक्लेम पॉलिसी की पुर्नसमीक्षा करवाने, अन्य विभागो के राजपत्रित अधिकारियो की तरह शिक्षा विभाग में भी परीवीक्षाकाल अवधि 01 वर्ष करने, पातेय वेतन/तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को कार्यरत पद के समस्त लाभ देने, नवक्रमोन्नत विद्यालयो में समस्त श्रेणी के पदो का सृजन करने, शिक्षकों को अवकाश के दिनो में कार्य के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देने, कृषि विषय के तदर्थ व्याख्याताओं को कार्यरत पद का लाभ देने, एस.एस.ए. के शिक्षकों को माह की नियमित वेतन का भुगतान करने, 1978 से 1989 तक पंचायत राज में नियुक्त शिक्षकों को वरिष्ठता एवं अन्य परिलाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देने, निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के कारण प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के परिचालन के लिए छात्र कोष शुल्क का पुर्नभरण हेतु बजट आवंटित करने, प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने, पूर्व में अर्जित योग्यता के आधार पर डीपीसी कर पदोन्नति का लाभ देने, प्रयोगशाला सहायको को अध्यापक पद के समान ही वेतनमान देने, काउन्सलिंग में भाग लेने वाले शिक्षकों को यात्रा भत्ता व अवकाश का लाभ देने, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं बैग उपलब्ध करवाने, पांचवी एवं आठवीं बोर्ड हेतु प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने एवं प्रारभ्भिक शिक्षा की परिवेदनाओ का निस्तारण करवाने आदि पर विस्तृत चर्चा संगठन पदाधिकारियो व विभाग के अधिकारियो के साथ हुयी।

देवलाल गोचर ने बताया कि वार्ता में वरिष्ठ अध्यापको की विसंगति मे सुधार हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाने, 2012 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के एरियर एवं बोनस के भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा से करवाने, ग्रामीण शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव को वित्त को भिजवाने, माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार ही ए.पी.सी का लाभ दिलवाने, प्रबोधकों की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर विचार करने, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रयोगशाला सहायक की शीघ्र डीपीसी करवानें, सफाई हेतु दिये जाने वाले फण्ड 5000 में वृद्वि करने तथा शहरी क्षेत्रो में भी इस प्रकार की व्यवस्था प्रारम्भ करने पर विचार करने पर सहमति हुयी। पूर्व में अर्जित योग्यता के आधार पर विभागीय त्रुटि से वंचित शिक्षकों को ,पदोन्नति का लाभ देने पर तथा सामाजिक विज्ञान, कृषि, वाणिज्य आदि के अध्यापको को डीपीसी कर प्रधानाध्यापक (उप्रावि) के समस्त पदों पर लगाने हेतु विभागीय स्तर पर समीक्षा करवाने,कुक कम हैल्पर के मानदेय में वृद्वि हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाने,शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से एसीपी का लाभ देने के न्यायालय के निर्णय की पालना करवाने, अन्य विभागो में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियो की तरह ही व्याख्याता/प्रधानाध्यापक का परीवीक्षाकाल 01 वर्ष करने पर विचार कर परीक्षण करवाने पर सहमति दी गयी। पोषाहार का भुगतान अग्रिम करने के निर्देशो की पालना करवाने के साथ कुक कम हैल्पर के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाने पर भी सहमति हुयी।

कार्यालयो में निरीक्षण अधिकारियो एवं मंत्रालयिक कर्मचारियो के पद विद्यालय अनुपात में सृजित करने पर उपशासन सचिव स्तर की समिति की अभिशंसाओं को लागू करने तथा प्रयोगशाला सहायको को अध्यापक पद के वेतनमान एवं उनकी रिकवरी को रोकने के संबंध में प्रस्ताव का परीक्षण करवाने का आश्वासन दिया। पंचायत राज में नियुक्त शिक्षकों के वेतन कोषालय से भुगतान प्रारंभ हो चुका है अब सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों को भी 01 अप्रेल 2017 से कोषालय के माध्यम से भुगतान करने के निर्णय की जानकारी वार्ता में दी गयी।

आधिकारिक वार्ता में शिक्षामंत्री श्री वासुदेव देवनानी के साथ शासन सचिव नरेशपाल गंगवार, सर्वशिक्षा अभियान आयुक्त श्री जोगाराम, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री बी. एल. स्वर्णकार, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री पी. किशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट निदेशक श्री अशफाक हुसैन, उपशासन सचिव श्री कमलेश आबूसरिया के साथ उपशासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा श्री घनश्याम शर्मा, सयुक्त शासन सचिव श्री त्रिपाठी, लेखाधिकारी श्री अशोक गर्ग, विशेषाधिकारी श्री बी. के. गुप्ता, अनुभाग अधिकारी श्री रामेश्वर लाल जाट एवं शिक्षा ग्रुप–2 के अन्य अधिकारियो के अलावा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महामंत्री देवलाल गोचर, संगठनमंत्री महावीर प्रसाद सिंघल, सम्मिलित हुए।

सादर प्रकाशनार्थ –
श्रीमान् सम्पादक महोदय

भवदीय

(देवलाल गोचर)
महामंत्री